

न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता 5-08(25)2018/184

दिनांक : 01/05/2018

निमित्त,

तहसीलदार
राशमी

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।

1. चौकी वार्डि परिय भैरुलाल अहीर नि० अडाना।
2. बनम
3. बनम
4. ① नर्बला वार्डि पत्नि भैरुलाल लोहार नि० अडाना
5. ② शैनु पिता भैरुलाल लोहार नि० अडाना
6. ③ रामेश्वर नाथ पिता मांगू नाथ नि० अडाना
7. ④ राजुनाथ पिता लक्ष्मण नाथ नि० अडाना
8. ⑤ रामनाथ पिता रूप नाथ नि० जवानपुरा
9. ⑥ गणनाथ पिता राजुनाथ नि० जवानपुरा
10. ⑦ लालू लाल पिता शिवलाल नाथ नि० अडाना
11. ⑧ मु० रंजु पत्नि शिवनाथ नि० अडाना
12. ⑨ रतन पिता - कतरा गाडरी नि० रबुनाथपुरा
13. ⑩ लक्ष्मण पिता हरिवरम अहीर नि० अडाना

प्रार्थीगण

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 25.../2018

--: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी :-

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 100/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता मौजा हरिपुरा..... पटवार हल्का ... अडाना..... तहसील राशमी में स्थित आराजी संख्या 21, 17..... की दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में चारों है कि दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद एवं किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रभावी न हो तो तथा मौके पर फसल खड़ी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावें, मौके पर किसी प्रकार का विवाद होने पर पत्थरगढ़ी नहीं कि जावे एवं इसी आशय का पर्चा मौका प्रेषित करावें। कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका पेश करे तथा कमिश्नर फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें।



401
(पंचकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर
(उपसहायक अधिकारी),
राशमी, जिला चित्तौड़गढ़